कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 222303 E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक दिनांक

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
चतरा।

विषय– 132KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 29.8774 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत 23.3355 हे0 कुल 53.2129 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का ज्ञापांक 1727 दिनांक 02.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र सन्दर्भ में सूचित करना है कि 132KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि एवं समीपस्थ वनों में कई प्रकार के वन्य प्राणी है यह क्षेत्र वन्यप्राणियों का अच्छा पर्यावास है। उक्त वनों में खरगोश, सियार, सांप, हिरण, जंगली मुर्गा, लोमड़ी, जंगली सुअर, कोटरा, नील गाय इत्यादि प्रवास करते है। इस क्रम में उल्लेख करना है कि चन्दवा से गया तक 400 के0भी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु अपयोजित होने वाली वनभूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र संख्या 8–3/2014–FC दिनांक 12.12.2014 द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु शर्त लगाई गई थी। उक्त ट्रांसमिशन लाईन प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के आस–पास से होकर गुजरती है, तो ऐसी स्थिति में विषयोक्त ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के क्रम में भी वन्य प्राणियों का संवर्द्धन एवं सुरक्षा हेतु वन्य प्राणी प्रबंधन योजना प्रस्ताव तैयार किया जाना अनिवार्य होगा।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपका विश्वासी
ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

ज्ञापांक 1699 दिनांक 04-08-2022.

<u>प्रतिलिपिः–</u> क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को उनके ज्ञापांक 1727 दिनांक 02.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.8.2022

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

04/08/2022